क्रम संख्या–168 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0एस0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 03 अक्टूबर, 2003 ई0
आश्विन 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

सहकारिता विभाग

संख्या 496/वी0ग्रा0वि0/2003
देहरादून, 03 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

विविध

प0 आ0–147

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सहकारिता विभाग अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली, 2003

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) यह नियमावली "अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली, 2003" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति :

उत्तरांचल अधीनस्थ सहकारी सेवा एक अराजपत्रित राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

3. परिभाषायें :

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निरीक्षक, समूह–एक के पदों के लिए निबन्धक से और निरीक्षक, समूह दो के पदों के लिए अपर निबन्धक से है;

(ख) 'अपर निबन्धक' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो सरकार द्वारा निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल के प्रधान कार्यालय में अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ग) 'सहकारी पर्यवेक्षक' का तात्पर्य सहकारी संस्थाओं के नियोजन के अधीन कार्यरत पर्यवेक्षक से है;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(च) 'सीधी भर्ती' का तात्पर्य नियम 16 के अधीन निहित रीति से की गयी भर्ती से है;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(झ) 'निरीक्षक, समूह–एक' का तात्पर्य सहकारी निरीक्षक समूह–एक से है और इसके अन्तर्गत अपर जिला सहकारी अधिकारी का पद और ऐसे अन्य अधीनस्थ पद जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में घोषित किये जाएं, धारण करने वाले अधिकारी से भी है;

(ञ) 'निरीक्षक समूह–दो' का तात्पर्य सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), महिला निरीक्षक तथा अन्वेषक–कम–संगणक से है, तथा ऐसे अन्य पद जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में घोषित किये जाएं, धारण करने वाले अधिकारी से भी है;

(ट) 'निरीक्षक समूह–तीन' का तात्पर्य सहायक सहकारी निरीक्षक से है और इसके अन्तर्गत राजकीय पर्यवेक्षक, और ऐसे अन्य पद जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में घोषित किये जाएं, धारण करने वाले अधिकारी से भी है;

(ठ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा में संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ड) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संबंध में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम नहीं है तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय किसी प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ढ) 'निबन्धक' का तात्पर्य उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथापरिभाषित निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल से है;

(ण) 'सेवा' का तात्पर्य अधीनस्थ सहकारी सेवा से है;

(त) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य, जिस वर्ष भर्ती की जाए उस कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा की सदस्य संख्या :

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट की गयी है.

परन्तु–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आगे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा, और

(ख) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझें।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का स्रोत :

नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

निरीक्षक समूह–एक

स्थायी निरीक्षक समूह–दो में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो, विभागीय प्रोन्नति कमेटी के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

निरीक्षक समूह–दो

(क) सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पदों में स्थायी निरीक्षक समूह–तीन में से जिन्होंने उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो विभागीय प्रोन्नति कमेटी के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6. प्रत्येक स्रोत से भर्ती का अनुपात :

(1) निरीक्षक समूह–एक के पदों पर पदोन्नति उन स्थायी निरीक्षक समूह–दो में से की जायेगी जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो:

परन्तु यह कि अन्वेषक–कम–संगणक और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के बीच पदोन्नति का कोटा उनके स्वीकृत पदों की आपेक्षिक संख्या अर्थात् सम्बन्धित वर्ष की पहली जुलाई को अन्वेषक–कम–संगणक व सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में होगा अर्थात् निरीक्षक वर्ग–एक के 59 स्वीकृत पदों में से 3 पद अन्वेषक–कम–संगणक तथा शेष 56 पर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(2) सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पदों में भर्ती साधारणतया इस प्रकार की जायेगी कि किसी भी समय संवर्ग की कुल संख्या में से 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत निरीक्षक वर्ग–तीन एवं सहकारी पर्यवेक्षकों से पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा पूरित होंगे:

परन्तु यह कि राजकीय पर्यवेक्षक और सहकारी पर्यवेक्षक के बीच पदोन्नति का कोटा उनके स्वीकृत पदों की आपेक्षिक संख्या अर्थात् सम्बन्धित वर्ष की पहली जुलाई को राजकीय पर्यवेक्षक व सहकारी पर्यवेक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में होगा।

7. आरक्षण :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

8. राष्ट्रीयता :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका और केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांजानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

9. आयु :

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उत्तरांचल सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की गयी आयु सीमा के अनुसार होगी:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

10. शैक्षिक अर्हताएं :

(1) सेवा में संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी इस नियमावली के परिशिष्ट 'ख' में भिन्न–भिन्न पदों के लिए दी गयी अर्हताएं रखता हो।

(2) नियम 5(ख) के अधीन सेवा के समूह–दो में पदोन्नति के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

11. अधिमानी अर्हता :

ऐसे अभ्यर्थी को जिसने (एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो (दो) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

12. चरित्र :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होंगे।

13. शारीरिक स्वस्थ्यता :

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय

तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

14. वैवाहिक प्रास्थिति :

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

15. रिक्तियों की अवधारणा :

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम 7 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

16. सीधी भर्ती की प्रक्रिया :

(1) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :–

(क) दो ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(ख) कार्यालय के सूचना–पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन या अन्य रोजगार समाचार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(2) चयन के विचारार्थ आवेदन–पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और अन्य मूल्यांकन के परिणाम को सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति नियम 7 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

(4) किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक रूप से दिये गये अंकों की औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(5) प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों से जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

(6) पाठ्य विवरण : प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें।

(7) चयन समिति का गठन : सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — पदेन अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या

अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य

(चार) दो उपनिबन्धक जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे — सदस्य

17. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

18. संयुक्त सूची :

यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 16 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से ऐसी रीति से लिये जाएंगे कि सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये विहित प्रतिशत बना रहे, पहला नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गई सूची से होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19. नियुक्ति :

(1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम–16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में से इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक के लिये नहीं की जायेंगी।

20. परिवीक्षा :

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21. स्थायीकरण :

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि--

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई हो, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थाई किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

22. ज्येष्ठता :

सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम से जिसमें उसके नाम नियुक्ति के आदेश रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

(क) सेवा में सीधी नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो;

(ख) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

टिप्पणी--

(1) जहाँ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जबसे किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, वहाँ उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जाएगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्यकरण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग सात--वेतन आदि

23. वेतनमान :

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप से या अस्थाई आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों के अनुमन्य वेतनमान इस नियमावली की परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन :

(1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का, यदि पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई हो तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें.

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत-नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

25. पक्ष समर्थन :

किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26. अन्य विषयों का विनियमन :

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों के द्वारा नियंत्रित होंगे।

27. सेवा की शर्तों में शिथिलता :

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों को सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्यक पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिभुक्त या शिथिल कर सकती है।

28. व्यावृत्ति :

इस नियमावली की किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनकी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4)

श्रेणी	पदनाम	वेतनमान	स्थायी	अस्थायी	कुल
1	2	3	4	5	6
1. समूह-1					
	अपर जिला सहकारी अधिकारी	5000-8000	59	—	59
2. समूह-2					
	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	4500-7000	153	—	153
	महिला निरीक्षक	4500-7000	2	—	2
	अन्वेषक-कम-संगणक	4500-7000	9	—	9

परिशिष्ट 'ख'

[नियम 10 (1)]

श्रेणी	पद का नाम	न्यूनतम अर्हतायें	अधिमानी अर्हतायें
1	2	3	4
समूह–दो	(क) सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	कला (अर्थशास्त्र) में स्नातक या बी०एस०सी० (कृषि) में स्नातक तथा कम्प्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान	ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो एम०कॉम०, अर्थशास्त्र में एम०ए० हो, जिसके एक प्रश्नपत्र सहकारिता का रहा हो, एम०एस०सी० (कृषि), एम०एस०सी० हो जिसके पास बी०एन० मेहता, इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉ–ऑपरेटिव मैनेजमेन्ट, पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो।
	(ख) महिला निरीक्षक	"	"
	(ग) अन्वेषक–कम–संगणक	बी०एस०सी० (सांख्यिकी/गणित) तथा कम्प्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान।	"

आज्ञा से,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 496/Va.Gra.V./2003, dated : October 03, 2003:

No. 496/Va.Gra.V./2003

Dated Dehradun, October 03, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders of the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Subordinate Co-operative Service :

THE SUBORDINATE CO-OPERATIVE SERVICE RULES, 2003

PART I–GENERAL

1. **Short title and commencement :**

(i) These rules may be called " The Subordinate Co-operative Service Rules, 2003".

(ii) They shall come into force at once.

2. Status of the service :

The Uttaranchal, Subordinate Co-operative Service is a state Non-Gazetted Service comprising Group-- 'C' posts.

3. Definitions:

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) "Appointing Authority" for the posts of Inspector Group -I means the Registrar and for the posts of Inspectors, Group -II means the Additional Registrar ;

(b) "Additional Registrar " means an officer appointed by the Government as "Additional Registrar, Co-operative Societies", Uttaranchal, at the Head Office of the Registrar, Co-operative Societies, Uttaranchal;

(c) "Co-operative Supervisor" means the Supervisor under the employment of Co-operative Institutions ;

(d) "Constitution" means the "Constitution of India" ;

(e) 'Citizen of India' means that persons who is the citizen of India under part II of the constitution of India;

(f) "Direct Recruitment" means recruitment in the manner prescribed under Rule 16;

(g) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(h) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(i) "Inspector Group -I" means Co-operative Inspectors, Group -I and includes officers holding the post of Additional District Co-operative Officers and such other subordinate executive posts as may be declared by the State Government from time to time ;

(j) "Inspector Group -II" means Co-operative Inspectors, Group -II and includes officers holding the posts of Assistant Development Officer (Co-operative), Lady Inspector and Investigator cum computer and such other post as may be declared by the State Government, as such from time to time ;

(k) "Inspector Group -III" means Assistant Co-operative Inspector, it includes the Government Supervisors and such other post as may be declared by the State Government from time to time ;

(l) "Member of Service" means a person appointed in a substantive capacity under these rules or under the provisions of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

(m) "Substantive appointment" means an appointment not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(n) "Registrar" means the Registrar, Co-operative Societies, Uttaranchal as defined under sub-section (1) of section 3 of the "Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003";

(o) "Service" means Subordinate Co-operative Service;

(p) "Year of recruitment" means the period of twelve months beginning from 1st day of July of the calender year in which a recruitment is made.

PART II--CADRE

4. Strength of service :

(i) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(ii) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (i), shall be as specified in Appendix 'A' to these rules:

Provided that –

(a) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation, and

(b) The Governor may create such additional temporary or permanent posts from time to time, as he may consider necessary

PART III–RECRUITMENT

5. Source of Recruitment .

Subject to the provision of Rule-6, recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources;

Inspector Group–I

By promotion through the Department Promotion Committee from amongst Inspectors, Group -I who have put in atleast five years service as such

Inspector Group–II

(a) By direct recruitment ,

(b) In the post of Assistant Development Officer (Co-operative), by promotion through the Departmental Promotion Committee from amongst Inspectors, Group - I who have passed intermediate examination of Uttaranchal Vidhyalayee Shiksha Evam Pariksha Parishad, U P Madhyamik Shiksha Parishad or an examination declared by the Governor as equivalent there to

6. Proportion of Recruitment from each sources .

1 The promotion in the posts of Inspector Group - I shall be from those confirmed Group - I Inspectors who have put in atleast five years of service as such

Provided that --

The promotion quota between Investigator cum computer and Assistant Development Officer (Co-operative) shall be in proportion to their relative strength on 1st July of the year i.e. out of 50 posts of Inspector Group - I three posts for promotion in Group - I shall be filled up from Investigator cum computer and 56 posts shall be filled up from Assistant Development Officer

2 Recruitment to the posts of Assistant Development Officer shall ordinarily be so arranged that out of total number of posts in the cadre at any time 50% posts are held by direct recruitment 50% posts are held by promotion through Group - I Inspectors and Co-operative Supervisors

Provided that --

The promotion quota as between Government Supervisors and Co-operative Supervisors shall be in proportion to their relative strength on 1st July of the year

7 Reservation

Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment

PART IV–QUALIFICATIONS

8. Nationality :

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

(a) A citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganayika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India

Provided that -

A candidate belonging to category (b), or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttaranchal

Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship

Note—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour

9. Age :

The age for direct recruitment shall be as such declared by Government from time to time

Provided that –

The upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Goverement from time to time shall be greater by such number of years as may be specified

10 Academic Qualifications .

(1) Candidate for direct recruitment to posts in the cadre of the service must hold the qualifications given for different posts in Appendix 'B' to these Rules

2) A person for promotion to Group 'B' of the service under rule 5(b, must have passed the Intermediate Examination of the Uttaranchal Vidhalayee Shiksha Evam Pariksha Parishad U P Madhyamik Shiksha Parishad or an examination declared by the Governor as equivalent thereto

11. Preferential Qualifications:

A candidate who has –

(i) Obtained 'B' certificate of National Cadet Corps ,

(ii) Obtained certificate of National Service Scheme shall other things equal be given preference in the matter of direct recruitment

12. Character :

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government Service The appointing authority shall satisfy itself on this point

Note--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation of Body owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall be ineligible for appointment to any post in the service Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible

13. Physical Fitness:

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and body health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate to fitness in accordance with the rules farmed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III '

Provided that

A medical certificate to fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion

14. Marital Status :

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service

Provided that –

The Governor may if satisfied that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule

PART V –PROCEDURE FOR RECRUITMENT

15. Determination of Vacancies :

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories in accordance with rule 7.

16. Procedure for Direct Recruitment :

1. For making direct recruitment the vacancies shall be notified in the following manner--
   (a) By publishing the application form in two daily news papers having wide circulation,
   (b) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through radio/ television and other employment news papers, and
   (c) By notifying vacancies to the employment exchange.
2. The application shall be invited for consideration for selection in the form published under sub rule 1.
3. After the result of the written examination and other evaluations have been received and tabulated, the selection committee shall having regard to the provisions of reservation referred to in Rule 7 hold and interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of vacancies.
4. The total marks obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the chairman and all the members of the selection committee separately.
5. The marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained in the written examination. The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list . In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies.
6. **Syllabus**--The syllabus and the rules of the competitive examination shall be as such prescribed by the Government from time to time.
7. **Constitution of Selection Committee**--The direct recruitment shall be made by a selection committee consisting of --
   (i) Appointing Authority — Ex-officio Chairman
   (ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman — Member
   (iii) An officer belonging to the Other Backward Classes, shall be nominated by the appointing authority Chairman, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes an officer Other than other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairmen — Member
   (iv) Two Deputy Registrar nominated by the appointing authority — Member.

17. Procedure for Recruitment by Promotion :

Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

18. Combined List :

If appointment is to be made both by direct recruitment and by a promotion, a combined select list shall be prepared, by taking the names of the candidates from the lists prepared under rules 16 & 17 in such manner that prescribed percentage of direct recruitment and promotion is maintained the first name being from the list prepared under rule 17.

PART VI –APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

19. Appointment :

(1) On the occurrence of substantive vacancies, the appointing authority shall make appointment by taking candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 16, 17 or 18 as the case may be.

(2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists, referred to the sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancies from persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last beyond one year.

20. Probation :

(1) A person on appointment to a post in the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted :

Provided that --

Save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or the extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation :

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if --

(a) He has passed the prescribed departmental examination, if any,

(b) He has successfully undergone the prescribed training, if any,

(c) His work and conduct is reported to be satisfactory,

(d) His integrity is certified, and

(e) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

22. Seniority :

Seniority in any category of post in the service shall be determined by the date of the order of substantive appointment and where two or more persons are appointed together by the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that --

(i) The inter seniority of persons directly appointed to the service shall be same as determined at the time of selection;

(ii) The inter seniority of persons appointed to the service by promotion shall be the same as it was in the substantive post held by them at the time of promotion.

Note--

(i) Where the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is to be appointed substantively that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment. In other cases it will mean the date of issue of the order.

(ii) A candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reason

when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons will be final.

PART VII –PAY ETC.

23. Scales of Pay :

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay, at the time of commencement of these rules, admissible to various categories of posts in the service, are given in Appendix 'A' to these rules.

24. Pay during probation :

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed Departmental Examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years, service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that –

If the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that –

If the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants, generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII –OTHER PROVISIONS

25. Canvassing :

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters :

In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation from the conditions of service :

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

28. Saving :

Nothing in these rules shall affect the reservations and other concessions required to be given to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories in accordance with the orders of the Government issued from time to time.

Appendix 'A'
(Rule 4)

Category	Name of the Post	Scale of Pay	Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5	6
Group I	Additional Distt. Co-operative Officer	5000-8000	59	-	59
Group II	(i) Asstt. Development Officer	4500-7000	153	-	153
	(ii) Lady Inspector	4500-7000	2	-	2
	(iii) Investigator-cum Computer	4500-7000	9	-	9

Appendix 'B'
[(Rule 10 (i)]

Category	Name of the post	Minimum Qualification	Preferential Qualification
1	2	3	4
Group II	(i) Asstt. Development Officer	Bachelor of Arts (Economics) or Bachelor of Commerce or B.Sc. (Ag.) and primary knowledge of Computer	Preference will be given to M.Sc. (Ag.), M.Sc. or M.Com or M.A. in Economics who has co-operation and allied subject Commerce and Economics degrees as an optional subject and post graduate diploma in co-operation from V.N. Mehta Institute of co-operative management, Puna.
	(ii) Lady Inspector	"	"
	(iii) Investegator-cum-Computer	B.Sc. (Maths or Statistics) and primary knowledge of Computer	"

By Order,

VIBHA PURI DAS,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 02 सहकारिता / 401–2003–75+100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

03102a002 Pdf